न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी 2201-II-15

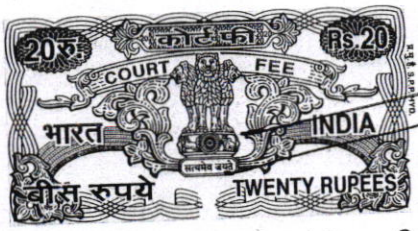

Rs. 20/-

रामप्रसाद तनय राममिलन तिवारी सा0 कोयलारी, तहसील–मैहर, जिला–सतना म0प्र0

--------**अपीलाण्ट**

बनाम्

1– रामदुलारे तनय स्व0 राममिलन तिवारी सा0 कोयलारी, तहसील–मैहार, जिला–सतना म0प्र0

2– स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का अमिलिया तहसील–मैहर, जिला–सतना म0प्र0

--------- **रेस्पाडेन्टगण**

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक–1345 /अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 08–04–2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

आज दिनांक 10-6-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5856

रजिस्टर्ड ... प्राप्त

राजस्व मण्डल ग्वालियर

...स्थान का जो प्रश्नाधीन आदेश दिया है वह आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(27)

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला सतना

निगरानी 2201–दो/2015

रामप्रसाद तिवारी विरूद्ध रामदुलारे तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 –7–2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रृवण किये गये। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त बहेरा तहसील मैहर जिला सतना के समक्ष खसरा सुधार हेतु संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया जिसपर नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 05/अ6अ/09–10 में पारित आदेश दिनांक 01–8–2011 से आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक रामदुलारे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–7–12 के द्वारा अपील स्वीकार की तथा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदन द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने ने आदेश दिनांक 8–4–15 से अपील खारिज की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वर्ष 1977–78, 78–79 के खसरा सुधार हेतु वर्ष 2009 में नायब	

तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115/116 एवं 32 के तहत आवेदन पेश किया है। आवेदक को यदि खसरे के संबंध में कोई आपत्ति थी तो तत्समय ही सुधार हेतु आवेदन पत्र पेश करना चाहिए था। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115/116 में एक वर्ष के भीतर ही आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। संहिता की धारा 32 राजस्व अधिकारी को कोई अतिरिक्त अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदक सगे भाई है और पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों का नाम वारिसाना नामांतरण हुआ था। आवेदक अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में यह बतलाने में असमर्थ रहा है कि उस सम्पूर्ण भूमि कैसे प्राप्त हुई। दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमि पर काबिज हैं। वर्ष 1977–78 में हुये इन्द्राज को वर्ष 2009 अर्थात 31 वर्ष पश्चात परिवर्तित करने में नायब तहसीलदार द्वारा त्रुटि की थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी अपने आदेश से की है। अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 08–4–15 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

23/7/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य